

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 406]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 12, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/13/15.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/13/14 दिनांक 31.07.2019 जारी की गई थी।

(2) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा, विभाग की उक्त अधिसूचना की कंडिका 08 को अपास्त किया गया, किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई।

(3) तदपश्चात् छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16—ग की उप—धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु “प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” की कंडिका 08—प्रबंध को छोड़कर, कंडिका—5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को उपांतरित करने अधिसूचना क्र./एफ 15—35/15—02/2019/1 दिनांक 07.03.2020 जारी की गई।

(4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 05—(च) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत “प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची—एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(5) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05—(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची — एक, दो एवं तीन को जारी करता है। हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति विभाग के ई—मेल आई.डी. osd.coop-cg@nic.in में या पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(6) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची—एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :— अनुसूची — एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप—सचिव.

जिला कोण्डागाव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन
योजना-2019
अनुसूची - एक

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है।
1	2	3	4
1	Nil	Nil	Nil

जिला कोण्डागांव छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुर्नगठन योजना-2019

अनुसूची-दो

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी की कार्यक्षेत्र ग्रामों का नाम
1	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोण्डागांव	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित गिरोला	गिरोला, सातगांव, सितली, चिलपुटी,
			इदागांव
2	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मुलमुला	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बफना	बफना, फरसगांव, नेवता, बडेभिरावण्ड, छोटेभिरावण्ड, लखनपुरी, डोंगरीगुडा, पलारी
		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित चिपावण्ड	चिपावण्ड, काकडाबेडा, सिधनपुर, भगदेवा, उमरगांव-ब, कुलझर, मालगांव, भिरागांव-अ, सिदावण्ड, कतावण्ड, निल्जी, कुम्हारी, डोंगरसिलटी
3	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित किबईबालेगा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बम्हनी	हंगवा, तोतर, आमगांव
			बम्हनी, कारसिंग, इसलनार, धनसुली, सम्बलपुर,
4	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित दहिकोगा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बनियागांव	बनियागांव, चिचपौलंग, कुसमा, कचोरा,
			दूधगांव, चिखलपुटी
5	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बडेकनेरा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बडेबेन्दरी	बडेबेन्दरी, बोलबोला, जरेबेन्दरी, छोटेबंजोडा, करंजी, कोकोड़ी
6	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मुनगापदर	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनाबाल	सोनाबाल, बोटीकनेरा, पोलंग, खण्डाम, मडानार, नगरी, बोरगांव, मयुरडोंगर, कारियाकाटा
		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित गोलावण्ड	गौलावण्ड, तातरी, ढोलमांदरी, बेतबेडा, खचगांव, बालासार, झारा
7	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित माकडी	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बवई	बवई, करमरी, कावरा, छोटेसलना, हाडीगांव, बडगांव, बुडरा, टेण्डमुण्डा, उमरगांव
8	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमरावती	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित छिनारी	छिनारी, नेवरा, सोंहगा, छोटेसोहगा, बेड़ागांव, छतौडी, किरमारी, बिंजोली
9	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लजोड़ा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित भण्डारसिवनी	भण्डारसिवनी, कुल्हाडगांव, सारबेडा, जुगानीकैप, मोहलई, बेलभाठा, चरकई, चांदागांव, चांदाबेलगांव
10	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित केशकाल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित खालेमुरवेण्ड	खालेमुरवेण्ड, डोडेशपाल, मुरनार, कुकडादाह, नयापारा, खुटापारा, दादरगढ, माहुरबेड़ा, सालेभट, हरवेल, चिपरेल

11	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित ईसगंवा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तोडासी (बडेखौली)	तोडासी, गददाड, बडेखौली, बिटालखौली, हिचका, तुमडी, कोठाडी, बिन्डो, पडडे
12	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित विश्रामपुरी	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लिहागांव	लिहागांव, आमगांव, खजरावण्ड, पारोण्ड, मैनपुर
13	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बासकोट	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित गम्हरी	लितरवंड, हल्दा, ढोढर
14	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बडेराजपुर		गम्हरी, जोडेकेरा, करमरी, बड़बत्तर,
		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोरगांव	कोरगांव, सोनपुर, कोगेरा, कोरहोबेड़ा

जिला कोण्डागाव, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुनर्गठन योजना-2019

अनुसूची - तीन

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है।	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित राधना	लुभा, उलेरा, सण्डरा, सोडसिवनी, तितना, ओडरी, ठेमगांव, खूडी, बागबेड़ा		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लुभा
		उदेंगा		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित काटागांव
2	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित शामपुर	काटागांव, बालोण्ड, लभा, दण्डवन, गारे, भीरागांव, देवहरदुली	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित राधना	
3	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित फरसगांव	बोरगांव, पश्चिम-बोरगांव, पूर्वी-बोरगांव, शंकरपुर, पैसरा, फुपगांव, भानपुरी, हिरी, सिंगरपुरी, चुरेगांव, पाण्डेआठगांव, देवगांव, बंजोडा, चनियागांव, बडेओडागांव, छोटेओडागांव, बाडागांव, गावडी, जामगांव, छिन्दलीबेड़ा, फुण्डेर, दावडे, कोकोडाजुगानार		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बोरगांव
		तूकी		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित देवगांव
4	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बडेडोगर	भंडारवडी	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित फरसगांव	
		उरन्दाबेड़ा, कोटपाड, मान्दागांव, नेट, मोदेबेड़मा, मोदे, कन्हारगांव, परोदा, कोनगुड, बोकराबेड़ा, कोण्डापखना, तोयापाल, हाटचपई, बारदा, बडगई, आमगांव, कुलनार, कौलगा, खण्डसरा, मडकड़ा, पावड़ा		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित उरन्दाबेड़ा
5	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बहीगांव	मांडोकीखरगांव, कलेपाल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बडेराजपुर	
		अडेंगा, गारावण्डी, डोहलापारा, बांडापारा, ऐटेकोन्हाडी, ठाकुरपारा, सिवनीपाल, जंरडी, तोषकापाल		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अडेगा
		आदनबेड़ा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिंगनपुर	
6	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिंगनपुर	मस्सुकोकोडा	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बहीगांव	
		अरण्डी, बकानभाटा, तेन्दुभाटा, डुमरपदर, चारभाटा, खेतरपाल, पलोरा, भरीपारा, नवागढ, हरवाकोडो, नयानार		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अरण्डी